(23)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,**
**प्रशासकीय सदस्य**

---

निगरानी 1050–एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.04.15 पारित द्वारा नजूल अधिकारी छतरपुर प्रकरण कमांक 14/अ–6/2012–13

---

श्रीमती शीरिन लाल आयु 70 वर्ष पत्नि स्व. श्री हरिशकुमार लाल
निवासी गुरुद्वारा के पास छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदिका**

**विरुद्ध**

1. श्रीमती पुष्पलता शाह पुत्री स्व. कोमलदास पत्नि स्व. श्री मनोहर शाह
   निवासी महोबा रोड गुरुद्वारा के पास छतरपुर म.प्र.
   हाल निवासी 34, राजुल बिहार तिलहरी मण्डल रोड जबलपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती शांति लता पुत्री स्व. कोमलदास पत्नि श्री सतीशचन्द्र
   निवासी महोबा रोड गुरुद्वारा के पास छतरपुर म.प्र.
   हाल निवासी बी–10, रामनाथ सिटी पी.ए.सी. के सामने ललितपुर
   रोड (राजगढ़) झांसी (उ.प्र.)
3. श्रीमती शैल आईजिक पुत्री स्व. श्री कोमलदास पत्नि श्री अनिल आईजिक
   निवासी सिद्ध गनेशन मार्ग गणेश मंदिर के पास, महोबा रोड छतरपुर म.प्र.
4. सतीश कुमार लाल तनय स्व0 श्री कोमलदास लाल
5. श्रीमती शीला राज पुत्री स्व. श्री कोमलदास लाल पत्नि अमर राज
   दोनों निवासी महोबा रोड गुरुद्वारा के पास छतरपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रवि चौधरी

---

**आदेश**

**( आज दिनांक** 07/12/17 **.....को पारित)**

यह निगरानी नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 14/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक पुष्पलता आदि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 109, 110 के तहत इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एवं अनावेदक को एक रिहायशी भवन नजूल क्षेत्र में स्थित है, जो उभयपक्षों की पैतृक संपत्ति है। तथा उक्त भवन नजूल रजिस्टर के सीट क. 34 (अ) भू–खण्ड क. 32 पर दर्ज है, जो वर्तमान में श्रीमती चन्द्रमणी कामलदास के नाम दर्ज है, जिनका निधन दिनांक 12.10.86 को हो गया है। अतः उक्त भू–खण्ड पर उभयपक्षों का फोती नामांतरण किया जाए। उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर नजूल अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 20.04.2015 के द्वारा आपत्ति निरस्त की एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया। उनके इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय मे पेश की गई है।

2. प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।

3. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया एवं उद्धरित न्याय दृष्टांतों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जो समझौता पत्र है वह अपंजीकृत है। अपंजीकृत दस्तावेज की वैधता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। न्याय दृष्टांत एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1997 (1) पेज 294 में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 100/– रुपये से अधिक की संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेज–प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं हो। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आपत्ति को साक्ष्य से पुष्ट नहीं

किया गया है। उक्त आधार पर उन्होंने प्रकरण अनावेदकों के साक्ष्य हेतु नियत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथम दृष्टया नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर